



दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे  
South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Raipur



No: E/ PB/ RCT/ R/ E-223282

Date: 27.04.2026

**Notification No. 17/ 2026**

It is proposed to fill up 03 vacancies of General Duty Medical Officer (GDMO)/ Contract Medical Practitioner (CMP) by engaging full time General Duty Medical Officer purely on contract basis for a period of one year to serve in the Railway Hospital, South East Central Railway, Raipur Division as per the details given below:-

1. Vacancies for General Duty Medical Officer/ Specialist (Full Time)				
HQ/ Division	Health Unit/ Hospital	Category of CMPs	Name of Specialist	Number of vacancy
Raipur Division Personnel	DRH/Raipur	Specialist	Gynecologist	01/ (Female)
		GDMO		01 (Preference to Female)
	Health Unit/DRZ	GDMO		01
2. Eligibility Conditions/Qualifications				
<b>GDMO</b>	MBBS from Institute recognized by Medical Council of India (MCI).			
<b>Specialist</b>	Must have an MBBS Plus a PG Degree /Diploma in the relevant specialty.			
	In addition, retired Railway Doctors/retired GMOs of State/Central Govt. up to the age of 65 years are also eligible.			
3. Remuneration Details				
Monthly Remuneration	Monthly remuneration will be payable in terms of Railway Board's guideline as specified from time to time. Presently, monthly remuneration payable is as under:			
General duty doctors (full time)	<b>95,000/- (Rupees Ninety Five Thousand only)</b> per month.			
Specialist/Gynecologist	<b>1,23,500/- (One Lakh Twenty Three thousand Five Hundred only)</b> per month.			
Retired Doctors	<b>95,000/- (Rupees Ninety Five Thousand only)</b> per month for GDMO & <b>1,23,500/- (One Lakh Twenty Three Thousand Five Hundred only)</b> per month for Specialist/CMP (Subject to the condition that remuneration + pension drawn by retired doctor should not exceed the last pay drawn)			
<b>4. No of Posts</b>	03			
<b>5. Age</b>	Upper age limit for candidates is 60 years as on the date of notification. Relaxation in age for reserved community candidates i.e. 03 years for OBC and 05 years for SC/ST will be applicable as per extant rules. Retired Railway Doctors/Government Medical officers of State/Central Government up to the age of 65 years as on the date of notification may also be engaged.			
<b>6. Mode of engagement and venue</b>	Selection through "Walk in Interview at 10.30 Hrs." scheduled, on 29.05.2026, Friday in the chamber of Chief Medical Superintendent, Divisional Railway Hospital, S.E.C. Railway, Raipur. The suitability should be adjudged by total of 100 marks & shall be divided as under:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Educational qualifications : 60 marks</li> <li>• Higher educational qualification : 10 marks</li> <li>• Working Experience : 10 marks</li> <li>• Personality Suitability (Viva) (Including Clinical Evaluation) : 20 marks</li> </ul>			
	<b>Total : 100 marks</b>			

*(Handwritten Signature)*

Further, the criteria of above heads were fixed as under:

**a) Educational Qualification - (60 Marks)**

The marks for educational qualification will be given according to the percentages of marks obtained by the candidate in all MBBS professional exams as follows:-

Percentage obtained in MBBS	Marks out of 60
Up to 50	50
Above 50 up to 55	53
Above 55 up to 60	56
Above 60 up to 65	59
Above 65	60

**b) Higher Educational Qualification - (10 Marks)**

Further, marks for additional educational qualification to be allocated as under:-

Qualification	Marks out of 10
For PG Degree	10
For PG diploma	05

**c) Working Experience - (10 marks)**

Allocation of 10 marks for experience shall be as under:-

Experience	Marks Out of 10
For every 6 months or under	2 marks subject to maximum not exceeding 10 marks

Marks will be allotted only where the candidates produced certificates in support of working experience.

**d) Viva (Professional knowledge, Personality, Leadership etc.) - (20 marks)**

Above is, subject to a maximum of 20 marks against this head.

**Panel will be drawn purely based on the merit.**

**7. Period of contract**

1. Contract period is normally for one year. Extension of contract can be considered for further periods as per extant rules.
2. Contract can be terminated by contract doctor at any time by giving 15 days notice. The contract can also be terminated by the Railway administration at any time during the contractual period by giving 07 days notice without assigning any reasons.
3. In case the Contract Doctor is found physically or mentally invalid or incapacitated, the contract can be terminated forthwith.
4. The contract can be terminated as & when panel of direct recruit of IRMS is received or any regular doctor is posted.

**8. Registration & Documents Required:-**

Registration for Walk-in-Interview will commence at 10.30 Hrs. and continue up to 12.00 Hrs. at the Office Chamber of Chief Medical Superintendent, Divisional Railway Hospital, S. E. C. Railway, Raipur on 29.05.2026, Friday. Candidates who fulfill the eligibility conditions can register their names during this period. Candidates should bring the following documents while attending the interview:-

1. Application in prescribed format available (Annexure - A)
2. Two passport size photographs.
3. Original certificates in proof of :-
  - i. Educational qualifications, namely Degree, Post Graduate Certificates, Certificate in support of Diploma in relevant field etc.
  - ii. Certificate in proof of date of birth
  - iii. Certificate in proof of experience, if any
  - iv. Caste Certificate by candidates belonging to SC/ST/OBC community
  - v. Service Certificate (For retired Railway Doctors/GMOs of State/Central Govt.)
  - vi. Last Pay Certificate & pension details (For retired Railway Doctors/GMOs of State/Central Govt.).
  - vii. Copies of certificate of registration with State Medical Council or Medical Council of India or appropriate authority.
  - viii. One set of self attested photocopies of the certificates/testimonials.

**9. Other Terms & Conditions:**

1. Candidates should have MBBS and Post Graduate degree(s) (wherever required) from any University/ Institute, recognized by Medical Council of India and the certificate should have permanent registration under State Medical Council or Medical Council of India or appropriate authority.
2. Place of posting/utilization of services is subject to administrative requirement.
3. Also, future vacancies may be filled up from standby panel as per administrative requirement.
4. Contract doctors will be subject to terms and conditions of the contract.
5. Engagement of the contract doctor is subject to their passing of mandatory medical examination and production of No Objection certificate from the present employer, if any.
6. Engagement as Contract Doctor will not confer any right for automatic regularization or absorption in Railways. The engagement is purely on contractual basis.
7. In case of any dispute, the English publication of the notification will prevail.
8. With respect to any matter related to engagement of Contract Doctor, the decision of administration will be final.

For further details, please log on to this Railway's website at [www.secr.indianrailways.gov.in](http://www.secr.indianrailways.gov.in) → Recruitment/ News/ Press Release → Recruitment → Raipur Division.

*Mahendra Kumar Sharma*  
28/04/20

**(Mahendra Kumar Sharma)**  
Assistant Personnel Officer-I  
For Sr Divisional Personnel Officer

**(Mahendra Kumar Sharma)**



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे  
South East Central Railway



कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर  
Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Raipur

स. E/ PB/ R/ RCT/ E-223282

दिनांक: 27.04.2026

**रोजगार सूचना सं-17/ 2026**

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेलवे अस्पताल/रायपुर में सेवा प्रदान करने के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (जी.डी.एम.ओ.)/ (सी एम पी) की कुल 03 रिक्तियों को योग्य चिकित्सकों द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से संविदा आधार पर भरना प्रस्तावित है।

1. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी/ विशेषज्ञ (पूर्ण कालिक) की रिक्तियों का विवरण:						
मुख्यालय/मंडल	हेल्थ यूनिट/चिकित्सालय	सीएमपी की श्रेणी	विशेषज्ञ का नाम	आवश्यक रिक्तियाँ		
रायपुर मंडल	मंडल रेलवे अस्पताल/रायपुर	विशेषज्ञ	स्त्री रोग विशेषज्ञ	01 / (महिला)		
		जीडीएमओ		01/ (महिला को प्राथमिकता)		
		जीडीएमओ		01		
	हेल्थ यूनिट/डी आर जेड	जीडीएमओ				
2. पात्रता की शर्तें एवं शैक्षणिक योग्यता						
सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से एम.बी.बी.एस.					
विशेषज्ञ	अनिवार्य योग्यता: संबंधित विशेषज्ञता में एमबीबीएस के साथ पीजी डिग्री/डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसके अलावा 65 वर्ष तक की उम्र के सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सक/केन्द्र अथवा राज्य शासन से सेवानिवृत्त जी.एम.ओ. भी आवेदन करने के पात्र हैं।					
3. पारिश्रमिक विवरण						
मासिक पारिश्रमिक	समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित निर्देशानुसार मासिक पारिश्रमिक देय होगी। वर्तमान में देय मासिक पारिश्रमिक निम्नानुसार है -					
सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी / विशेषज्ञ	प्रतिमाह रुपये 95000/- ( पनचानवे हजार रुपये मात्र)					
विशेषज्ञ / स्त्री रोग विशेषज्ञ	₹1,23,500/- (केवल एक लाख तेईस हजार पाँच सौ रुपये) प्रति माह।					
सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सक	जीडीएमओ के लिए ₹95,000/- (केवल पनचानवे हजार रुपये) प्रति माह तथा विशेषज्ञ/सीएमपी के लिए ₹1,23,500/- (केवल एक लाख तेईस हजार पाँच सौ रुपये) प्रति माह। (इस शर्त के अधीन कि सेवानिवृत्त चिकित्सक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक + पेंशन, उनके अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए)					
4. पदों की संख्या	03					
5. आयु	इस रोजगार सूचना की प्रकाशन की तिथि को उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो। अपिब/अजा/अजजा तथा अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए आयु में छूट संबंधित नियम लागू होंगे जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 03 वर्ष तथा अजा/अजजा के लिए 05 वर्ष। 66 वर्ष की आयु तक के लिए सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों/केन्द्र अथवा राज्य शासन से सेवानिवृत्त शासकीय चिकित्सा अधिकारियों को भी शामिल किया जायेगा।					
6. अनुबंध की विधि एवं स्थान	<p>“प्रवेश साक्षात्कार” के माध्यम से चयन हेतु चयन प्रक्रिया का आयोजन <b>प्रातः 10.30 बजे से शुरुवार, दिनांक 29.05.2026 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मंडल चिकित्सालय/इन्क्यूआर.एस.कॉलोनी/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/रायपुर</b> के कक्ष में होगा। उपयुक्तता के लिये कुल 100 अंक निर्धारित हैं तथा कुल अंकों को निम्नानुसार बांटा जायेगा -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● शैक्षणिक योग्यता - 60 अंक</li> <li>● उच्च शैक्षणिक योग्यता - 10 अंक</li> <li>● कार्यानुभव - 10 अंक</li> <li>● व्यक्तिगत उपयुक्तता/साक्षात्कार (इन्क्लुडिंग क्लिनिकल इवैलुएशन) - 20 अंक</li> </ul> <p><b>कुल - 100 अंक</b></p> <p>इसके अलावा, उपरोक्त शीर्षों के मानदंड निम्नानुसार तय किए जायेंगे-</p> <p><b>अ) शैक्षिक योग्यता - (80 अंक)</b> सभी एमबीबीएस व्यावसायिक परिक्षाओं में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार शैक्षिक योग्यता के लिए अंक दिए जाएंगे जो निम्नानुसार होंगे-</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>एमबीबीएस मार्क्स में प्राप्त प्रतिशत</td> <td>अंक 80 में से</td> </tr> </table>				एमबीबीएस मार्क्स में प्राप्त प्रतिशत	अंक 80 में से
एमबीबीएस मार्क्स में प्राप्त प्रतिशत	अंक 80 में से					

*(Handwritten Signature)*

50 तक	50
50 से ऊपर 55 तक	53
55 से ऊपर 60 तक	56
60 से ऊपर 65 तक	59
65 तक	60

**ब) उच्च शैक्षिक योग्यता - (10 अंक)**

इसके अलावा, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता के लिए अंक :

योग्यता	अंक 10 में से
पीजी डिग्री के लिए	10
पीजी डिप्लोमा के लिए	05

**स) कार्य अनुभव - (10 अंक)**

कार्य अनुभव के लिए 10 अंको का आवंटन निम्नानुसार होगा।

अनुभव	अंक 10 में से
हर 6 महीने या कम	2 अंक के तहत अधिकतम 10 अंको से अधिक नहीं

अंक केवल उन्हे ही आवंटित द्वारा कार्य अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

**द) साक्षात्कार (पेशेवर ज्ञान, व्यक्तित्व, नेतृत्व आदि) - (20 अंक)**

उपरोक्त, इस मद में अधिकतम 20 अंक है।

**पैनल पूरी तरह से योग्यता के आधार पर निकाला जाएगा।**

**7. सविदा की अवधि**

- सामान्यतः सविदा की अवधि एक वर्ष की है। वर्तमान नियमों के अनुसार आगे की अवधि के लिए सविदा के विस्तार पर विचार किया जा सकता है।
- सविदा को सविदा चिकित्सक की ओर से किसी भी समय 15 दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। सविदा को रेलवे प्रशासन द्वारा बिना कारण बताए किसी भी समय 07 दिनों का नोटिस देकर भी समाप्त किया जा सकता है।
- यदि सविदा डॉक्टर शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त या अक्षम पाया जाता है तो सविदा तत्काल समाप्त की जा सकती है।
- आई.आर.एम.एस पद की रिक्ति के विरुद्ध पदस्थापित चिकित्सक को सीधी भर्ती कोटे से चिकित्सकों के पैनल प्राप्त होने पर कभी भी उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

**8 पंजीयन एवं आवश्यक दस्तावेज** साक्षात्कार के लिए पंजीयन उपरोक्तानुसार दी गई तिथि यथा रायपुर में शुक्रवार, दिनांक 29.05.2026 को प्रातः 10.30 बजे से प्रारंभ होगा एवं 12.00 बजे तक जारी रहेगा। जो उम्मीदवार पानत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, वे इस अवधि में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ में लाना आवश्यक है:

- निर्धारित प्रारूप में पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन (एनेक्सचर ए)
- पासपोर्ट आकार का दो नवीन फोटो।
- प्रमाण के लिए निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र :-
  - शैक्षणिक योग्यता, उल्लेखित डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री का प्रमाण-पत्र, संबंधित क्षेत्र में-डिप्लोमा इत्यादि।
  - जन्मतिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र।
  - अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो (अनिवार्य)
  - पिछड़ा वर्ग/अनुजाति/अनुजनजाति के उम्मीदवार द्वारा जाति प्रमाण-पत्र।
  - सेवा प्रमाण पत्र (सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों/केन्द्र अथवा राज्य शासन से सेवानिवृत्त जी.एम.ओ. के लिए)
  - अंतिम वेतन प्रमाण पत्र और पेंशन विवरण (सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों/केन्द्र अथवा राज्य शासन से सेवानिवृत्त जी.एम.ओ. के लिए)
  - राज्य चिकित्सा परिषद, या भारत के चिकित्सा परिषद या उचित प्राधिकरण के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपियाँ।
  - प्रमाण पत्रों/ अन्य आवश्यक दस्तावेजों की साभ्यांकित प्रतिलिपियाँ का एक सेट।

**9 अन्य नियम एवं शर्तें**

- उम्मीदवार के पास भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्था से एम.बी.बी.एस. तथा स्नातकोत्तर की उपाधि (जो भी आवश्यक हो) होनी चाहिए और प्रमाण पत्र को राज्य चिकित्सा परिषद या भारतीय चिकित्सा परिषद या उचित प्राधिकारी के अधीन स्थायी पंजीयन होना चाहिए।
- पदस्थापन/सेवाओं के उपयोग का स्थान प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन होगा।
- साथ ही भविष्य की रिक्तियों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार स्टैंड-बाय पैनल से भरा जा सकता है।
- सविदा चिकित्सक को निर्धारित सविदा की निबंधन एवं शर्तों का पालन करना होगा।
- सविदा चिकित्सक के रूप में रखे जाने पर शर्तों के अनुसार उनको चिकित्सा परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करना होगा तथा वर्तमान नियोक्ता से (यदि कोई हो तो) अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- सविदा डॉक्टर के रूप में नियुक्ति से रेलवे में स्वचालित नियमितीकरण या अवशोषण का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। नियुक्ति पूर्णतः सविदा के आधार पर है। रेलवे प्रशासन के पास किसी भी स्तर पर अनुबंध/ नियुक्ति को बंद करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में अधिसूचना का अंग्रेजी प्रकाशन मान्य होगा।
- सविदा चिकित्सक की नियुक्ति से संबंधित किसी भी मामले में प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया इस रेलवे की वेबसाइट [www.secr.indianrailways.gov.in](http://www.secr.indianrailways.gov.in) →

**Recruitment/News/Press Release → Recruitment → Raipur Division.** ₹ लागू करें। किसी भी विवाद की स्थिति में इस अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

(महेन्द्र कुमार शर्मा)

सहायक कार्मिक अधिकारी-I  
कृते बरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी